UPMZ010076182026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 06, मुजफ्फरनगर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 3071/2026

1. मंयकपाल पुत्र सुभाष चन्द पाल निवासी मौहल्ला मिश्रान, जानसठ, थाना जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मु0 अ 0 सं0– 17/2026
धारा– 303(2), 317(2), 3(5) बी.एन.एस.
थाना–जी0 आर 0 पी0, जिला–मुजफ्फरनगर

दिनांक–19.06.2026

1. आवेदक/अभियुक्त मंयकपाल की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो मु0 अ 0 सं0–17/2026, धारा– 303(2), 317(2), 3(5) बी.एन.एस., थाना–जी0 आर 0 पी0, जिला मुजफ्फरनगर के मामले में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी ने इस आशय की तहरीर दी कि दिनांक 05/6.06.2026 की रात्रि को वह मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर तत्काल रिजरवेसन के लिये आया था, और उसने अपना मोबाइल ओप्पो ए 77 रंग काला चार्जिंग पर लगा दिया, तभी वहां पर अभियुक्त उसका मोबाइल चोरी कर भागने लगा। शोर मचाने पर लोगो द्वारा पकड़ा गया तथा उसने अपना नाम मंयकपाल बताया।

3. जमानत के आधार के रूप मे अभियुक्त के द्वारा यह बताया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त अभियोग में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 06.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त कतई निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और न ही सजायफ्ता है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई चोरी नहीं की है। प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद उचित जमानत पर रिहा फरमाये जाने की कृपा करे।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया जाता है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

5. अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। अतः अभियुक्त को जमानत प्रदान की जाये।

6. जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त दिनांक 06.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त पूर्व से सजायाप्ता नहीं है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण दोष पर टिप्पणी किए, अभियुक्त की जमानत का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त मयंकपाल की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक अभियुक्त को उसके द्वारा अंकन 50,000/– रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि के एक विश्वनीय प्रतिभू निष्पादित करने पर सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर इस शर्त पर रिहा किया जाता है कि वह दौरान विचारण मामले से सम्बन्धित साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा। अभियुक्त के द्वारा अपने व्यक्तिगत बंध पत्र पर तथा जमानतनामें के द्वारा बंध पत्र पर अपना आधार नम्बर तथा चालू मोबाईल नम्बर अंकित किया जायेगा। न्यायालय के द्वारा नियत की गई प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

प्रभारी/अपर जनपद व सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–06, मुजफ्फरनगर।